

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005

उत्तराखण्ड शासन

विद्यायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या : 615/विद्यायी एवं संसदीय कार्य /2005

दिनांक : देहरादून : 11 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 348 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 पर दिनांक 09 नवम्बर 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 27 सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005

(अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005)

उत्तराखण्ड राज्य में माल के क्रय और विक्रय पर मूल्य वर्धित कर, के उद्गृहण सम्बन्धी विधि का उपबन्ध करने और उसको समेकित करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के छपनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् यह अधिनियमित किया गया

स्पष्टीकरण: यदि किसी आदेश के विरुद्ध अपील वापस ले ली जाय या धारा 74 में विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान न करने या धारा 51 की उपधारा (1) का अनुपालन न करने के कारण खारिज कर दी जाय, तो यह नहीं समझा जायेगा कि वह आदेश धारा 51 के अधीन अपील की विषय-वस्तु रह चुका है।

- (4) इस धारा के अधीन कोई ब्यौहारी या कोई अन्य व्यक्ति आवेदन दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।

53. अपील अधिकरण के समक्ष अपील (Appeal to the Appellate Tribunal)-

1[(1) धारा 51 के अधीन पारित किसी आदेश (उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को छोड़कर), धारा 52 या धारा 76 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 57 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन किसी निर्देश, या धारा 43-क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48 की उपधारा (10) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48-क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, विनिश्चय या निर्देश की उसके ऊपर तामीली के 90 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजन हेतु कमिश्नर से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कोई 'व्यक्ति' पद में कमिश्नर सम्मिलित है और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्मिलित है।]

- (2)(क) उपधारा (1) में किसी बात के रहते हुये भी जहाँ कर, फीस या अर्थदण्ड की विवादित धनराशि दो हजार रुपये से अनधिक है और विधि का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है, वहाँ अपीलकर्ता अपनी मर्जी से, अपनी अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के लिये अधिकरण से लिखित में प्रार्थना कर सकता है जिस पर अधिकरण अपील का निस्तारण तदनुसार कर सकता है।

1. विज्ञप्ति सं० 178/2012/10(120)/XXVII(8)/07, दिनांक 13-06-2012 एवम् विज्ञप्ति सं० 1099/2012/181(120)/XXVII(8)/08, दिनांक 17-12-2012 के द्वारा (दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी) के द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व धारा 53 की उपधारा (1) इस प्रकार थी:-

- (1) धारा 51 के अधीन पारित किसी आदेश (उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को छोड़कर), धारा 52 या धारा 76 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 57 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन किसी निर्देश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, विनिश्चय या, निर्देश की उसके ऊपर तामीली के 90 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन हेतु कमिश्नर से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में "कोई व्यक्ति" पद में कमिश्नर सम्मिलित है और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्मिलित है।

- (ख) अपील के संक्षिप्त निस्तारण की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाय।
- (ग) अपील में पारित किसी आदेश, जिसका निस्तारण संक्षिप्त निस्तारण के रूप से हुआ है, के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।
- (3) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 इस धारा के अधीन अपील और अन्य प्रार्थनापत्रों पर लागू होगी।
- (4) अधिकरण अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद किसी भी स्तर पर अपील खारिज कर सकता है।
- (5) अधिकरण, यदि उसने उपधारा (4) के अधीन अपील पहले ही खारिज न कर दी हो, सुसंगत अभिलेख मँगाने और उनका परीक्षण करने के पश्चात और पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात या, यथाथिति, उपधारा (2) के अधीन विहित रीति का अनुसरण करने के पश्चात-
- (क) ऐसे आदेश की पुष्टि, उसको रद्द या परिवर्तित कर सकता है; या
- (ख) आदेश को अपास्त कर सकता है और यथास्थिति, कर निर्धारण करने वाले, या अपील सुनने वाले या पुनरीक्षण अधिकारी या कमिश्नर को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रेतर जॉच, यदि कोई हो, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, करने के पश्चात नया आदेश दे।
- (6) यदि अधिकरण द्वारा उपधारा (5) के अधीन कर, फीस या अर्थदण्ड की कोई धनराशि कम की जाती है, तो वह आदेश करेगा कि कोई धनराशि जो देय धनराशि से अधिक वसूली गयी है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जाये।
स्पष्टीकरण: आदेश में परिवर्तन करने के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शक्ति के अन्तर्गत निर्धारित कर या अर्थदण्ड की धनराशि को कम करने या बढ़ाकर आदेश में परिवर्तन करने का अधिकार भी, सम्मिलित है। तथापि, कर या अन्य धनराशि बढ़ाने से पूर्व ब्यौहारी को, देयता बढ़ाने के प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।
- (7) यदि इस धारा के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो, तो ऐसी अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किये गये अपीलकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर अधिकरण, पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, उसके अधीन देय किसी कर, फीस या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या देय धनराशि की वापसी को, पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही को या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसके प्रवर्तन को अपील के निस्तारण होने तक स्थगित कर सकता है।
- (8) कर, फीस या अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रार्थी ने धारा 51 की उपधारा (4) के

अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि के अतिरिक्त, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम एक तिहाई धनराशि के भुगतान का संतोषजनक प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दिया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ विवादग्रस्त धनराशि रूपये 25000/- से कम है, ब्यौहारी से ऐसी विवादित धनराशि की एक तिहाई धनराशि जमा करना अपेक्षित नहीं होगा;

~~प्रतिबन्ध यह और है कि अधिकरण विशेष और पर्याप्त कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की एक तिहाई धनराशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में इस उपधारा की अपेक्षा का अधित्याग या शिथिल कर सकता है।~~

- (9) जहाँ अधिकरण ने इस धारा के अधीन किसी कर, फीस या अर्धदण्ड की वसूली के स्थगन के लिये या उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, प्रवर्तन के स्थगन के लिये आदेश पारित किया है और अधिकरण के ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप किसी कर, फीस या अर्धदण्ड की वसूली स्थगित हो गई है, वहाँ अधिकरण का ऐसा स्थगन आदेश 45 दिन से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि अपीलकर्ता ने शेष धनराशि स्थगन आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर जमा न कर दी हो और बकाया धनराशि के भुगतान के लिये सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी हो;

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ स्थगित की गई धनराशि रूपये 25000/-से कम है, ब्यौहारी से ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिभूति दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा।

- (10)(क) धारा 51 के अधीन अपील-अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण-

(i) दो सदस्यों की न्याय पीठ द्वारा किया जायेगा, यदि ऐसा आदेश एडिशनल कमिश्नर (अपील) द्वारा किया गया हो, अथवा विवादग्रस्त कर, फीस या अर्धदण्ड की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक हो;

(ii) किसी अन्य मामले में एक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

(ख) धारा 52 के अधीन दिये गये आदेश या धारा 43 की उपधारा (8) के अधीन दिये गये निर्देश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण दो सदस्यों की न्याय पीठ द्वारा किया जायेगा;

(ग) धारा 76 की उपधारा (13) या उपधारा (16) के अधीन किसी आदेश या धारा 57 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसकी सुनवाई और उसका निस्तारण तीन सदस्यों की न्याय पीठ द्वारा किया जायेगा।

(घ) अध्यक्ष, यदि उचित समझे,-

- (i) किसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय वृहद्वर न्यायपीठ द्वारा किये जाने के निर्देश दे सकता है;
- (ii) किसी अपील का अन्तरण एक सदस्य से दूसरे सदस्य को कर सकता है।
- (ड) दो या अधिक सदस्यों की किसी न्यायपीठ के समक्ष किसी मामले में, कोई ऐसा आदेश जो मामले का अन्तिम रूप से निस्तारण करने वाले आदेश से भिन्न हो, न्यायपीठ का गठन करने वाले सदस्यों में से किसी एक द्वारा पारित किया जा सकता है।
- (11) कोई भी सदस्य जिसने अधिकरण के समक्ष आने वाले किसी मामले में किसी भी क्षमता में कार्यवाही की है या जो अधिकरण के समक्ष आने वाले किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो उस मामले की सुनवाई के लिये अर्हित नहीं होगा।
- (12) किसी कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में एक ही वाद हेतुक से उत्पन्न समस्त अपीलों की सुनवाई और उनका निस्तारण एक साथ किया जायेगा:
- प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसी अपीलों में से किसी एक या अधिक अपीलों की सुनवाई और विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है, यदि अवशेष अपीलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ यह विचार करती है कि ऐसे विनिश्चय से ऐसी अवशेष अपीलों में राहत देने में विधिक अड़चन हो सकती है, वहाँ वह, यदि पूर्वतर विनिश्चय-
- (क) लघुतर न्यायपीठ या समसंख्यक न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को वापस मंगा सकती है और सभी अपीलों का विनिश्चय एक साथ करने की कार्यवाही कर सकती है;
- (ख) वृहद्वर न्यायपीठ द्वारा दिया गया हो, ऐसी अवशेष अपीलों को ऐसी अधिकारिता वाले वृहद्वर न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर सकती है और तत्पश्चात् ऐसी वृहद्वर न्यायपीठ ऐसे पूर्वतर विनिश्चय को मंगा सकती है और सभी अपीलों का एक साथ विनिश्चय करने की कार्यवाही कर सकती है।
- (13) किसी न्यायपीठ द्वारा सुने गये मामले का विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा। यदि सदस्यों की राय बराबर विभाजित हो तो अधिकरण का अध्यक्ष-
- (क) यदि वह ऐसी न्यायपीठ का सदस्य नहीं था, अपनी राय दे सकता है, या किसी अन्य सदस्यों की राय के लिये मामला निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसे मामले का विनिश्चय ऐसी राय के अनुसार किया जायेगा; या
- (ख) वृहद्वर न्यायपीठ बना सकता है।
- (14) जहाँ किसी मामले की सुनवाई द्विसदस्यीय पीठ द्वारा की जाती है और सदस्य किसी बिन्दु पर अपनी राय में विभाजित है और दूसरा सदस्य या अधिकरण के सदस्यगण उपधारा (10) के अधीन मामले को सुनने के लिये अर्हित नहीं हैं या फिलहाल अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये केवल दो सदस्य हैं, तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति जो कि

अधिकरण का सदस्य नियुक्त होने योग्य है, को अधिकरण के अतिरिक्त सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है और वह बिन्दु अधिकरण के उन सदस्यों जिन्होंने मामले की सुनवाई की है (उनको शामिल करते हुये जिन्होंने प्रथम बार इसकी सुनवाई की है) की बहुसंख्यक राय के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

- (15) अधिकरण अपीलकर्ता पर लिखित रूप से अपील निर्णय की नोटिस, निर्णय के कारणों का उल्लेख करते हुये तामील करेगा।

54. अपील अधिकरण का गठन (Constitution of Appellate Tribunal) -

- (1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण को सौंपे गये कार्यों का निस्पादन करने के लिये सरकार एक अधिकरण का गठन करेगी जिसके एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्य होंगे जैसा कि वह ठीक समझे।
- (2) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से की जायेगी-
- (क) उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्ति जो अपर जिला न्यायाधीश से निम्न पद पर न हों या न रहे हो; और
- (ख) उत्तराखण्ड व्यापार कर सेवा के ऐसे व्यक्ति जो कि एडिशनल कमिश्नर से निम्न पद पर न हों या न रहे हों:
- (3) राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये ऐसी अन्य अर्हताएं या शर्तें विहित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।
- (4) राज्य सरकार द्वारा अधिकरण के लिये नियुक्तियों की जायेंगी -
- (क) उन व्यक्तियों की स्थिति में जो उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य रहे हैं या हैं, उच्च न्यायालय के परामर्श से; और
- (ख) उत्तराखण्ड व्यापार कर सेवा के व्यक्तियों की स्थिति में उन व्यक्तियों में से जो एडिशनल कमिश्नर से निम्न पद पर न हों या न रहे हों, योग्यता के सिद्धान्त पर चयन द्वारा।
- (5) उत्तर प्रदेश मूल नियम जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है, के नियम 56 के उपबन्ध अध्यक्ष सहित अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे जैसे कि वे किसी भी अन्य सरकारी सेवक पर लागू हैं।
- (6) अधिकरण के अध्यक्ष का मुख्यालय देहरादून में रहेगा और वह उत्तराखण्ड में सभी न्यायपीठों के ऊपर समवर्ती अधिकारिता रखेगा।
- (7) धारा 53 की उपधारा (10) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट अन्य एकल सदस्यीय न्यायपीठों का मुख्यालय और अधिकारिता उस प्रकार रहेगी जैसा कि राज्य सरकार अधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचित करे।

- (8) अध्यक्ष समय-समय पर दो या दो से अधिक सदस्यों की न्यायपीठों का गठन कर सकता है और, जैसा वह आवश्यक समझे, उनकी अधिकारिता और बैठने के स्थान को विनिर्दिष्ट कर सकता है।
- (9) अधिकरण के सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे।
- (10) अपनी रीति को विनियमित करने और कार्य का निस्तारण करने के उद्देश्य से अधिकरण सरकार की पूर्व अनुमति से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से संगत विनियम बनायेगा।
- (11) उपधारा (10) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

55. उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण (Revision by High Court) -

- (1) धारा 53 की उपधारा(4) या उपधारा (5) के अधीन दिये गये आदेश से, जो उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अपील का संक्षिप्त निस्तारण करने के आदेश से भिन्न हो, या अधिकरण द्वारा धारा 30 के अधीन दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उच्च न्यायालय में ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है।
- (2) उच्च न्यायालय में विधि के बिन्दु पर या त्रुटिपूर्ण विनिश्चय या किसी विधिक प्रश्न पर अधिकरण द्वारा विनिश्चय न दिये जाने के बिन्दु पर पुनरीक्षण किया जा सकता है।
- (3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण के आवेदन में मामले से सम्बन्धित विधिक प्रश्न का ठीक-ठीक वर्णन होगा और विधिक प्रश्न के सूत्रकरण या किसी अन्य विधिक प्रश्न उठाये जाने की अनुमति देने के लिये उच्च न्यायालय सक्षम होगा।
- (4) जहाँ किसी ब्यौहारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अपील दाखिल की जाती है वहाँ उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में कमिश्नर को भी एक पक्षकार बनाया जायेगा।
- (5) यदि इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हो, तो उच्च न्यायालय उस निमित्त आवेदन दिये जाने पर पुनरीक्षण के लिये आशयित आदेश के अधीन देय कर, फीस, अर्थदण्ड की किसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली को या किसी देय धनराशि की वापसी को स्थगित कर सकता है:
प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी विवादग्रस्त धनराशि की वसूली के स्थगन के लिये कोई आदेश तीस दिन से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा, जब तक कि आवेदक सम्बन्धित करनिर्धारक प्राधिकारी के सन्तोषानुसार पर्याप्त प्रतिभूति न दे दे।
- (6) उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात अन्तर्ग्रस्त विधिक प्रश्न का विनिश्चय करेगा और यदि ऐसे विनिश्चय के परिणामस्वरूप कर, फीस या अर्थदण्ड की धनराशि को फिर अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय धनराशि को फिर से अवधारित करने के लिये विनिश्चय की एक प्रति, अधिकरण को भेज सकता है,

अध्याय - VIII
अपील और पुनरीक्षण
(APPEAL AND REVISION)

34. अपील प्राधिकारी (Appellate Authorities) -

(1) धारा 51 के अधीन अपील निम्नलिखित को की जायेगी:-

(क) ऐसे मामलों में जिसमें वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, का आदेश ज्वाइंट कमिश्नर (कर-निर्धारण) द्वारा पारित किया गया है, एडिशनल कमिश्नर (अपील) को, और

(ख) अन्य सभी मामलों में, ज्वाइंट कमिश्नर (अपील), को।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन हेतु "अपील"पद में अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन कमिश्नर द्वारा दिया गया आवेदन भी सम्मिलित है।

(2) धारा 53 के अधीन अपील, अधिकरण को की जायेगी।

35. अपील का ज्ञापन (Memorandum of Appeal) -

(1) प्रत्येक अपील वाटर मार्क या किसी अन्य मजबूत कागज पर लिखित ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जायेगी।

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम और उसका पूरा पता विनिर्दिष्ट किया जायेगा। उसमें संक्षिप्त रूप से और स्पष्ट शीर्षकों में आपत्ति के आधार और प्रार्थित राहत वर्णित होंगे और उस पर अपीलकर्ता या उसके वकील या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत एजेन्ट के हस्ताक्षर होंगे और उसका सत्यापन निम्नलिखित रूप में किया जायेगा।

(i) "मैं अपीलकर्ता/अपीलकर्ता की ओर से, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन-पत्र की अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य है।

(ii) मैं अपीलकर्ता/अपीलकर्ता की ओर से, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपील प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही है और इससे पहले प्रस्तुत नहीं की गयी है":

परन्तु यह कि धारा 51 के अधीन कमिश्नर द्वारा दिया गया आवेदन या धारा 53 के अधीन कमिश्नर द्वारा की गई अपील के मामले में, अपील का ज्ञापन कमिश्नर या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उसका सत्यापन विभागीय प्रतिनिधि या, जैसी भी दशा हो, राज्य प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।

- (3) धारा 51 के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, एक प्रमाणित प्रतिलिपि और प्रत्येक की दो सत्य प्रतिलिपियाँ लगाई जायेंगी। ज्ञापन की मूल प्रति और यथा-उपर्युक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील अधिकारी द्वारा रख ली जायेगी और उनमें से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि उक्त अधिकारी द्वारा, सम्बद्ध कर निर्धारक प्राधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि पर तामील की जायेगी।
- (4) अपील के ज्ञापन के साथ अधिनियम के अधीन देय फीस के भुगतान का सबूत और धारा 51 के अधीन किसी अपील की स्थिति में, एक चालान या सम्बद्ध कर निर्धारक प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र, जिसमें धारा 51 की उपधारा (4) के अनुसार कर या फीस जमा करना दिखाया गया हो, भी संलग्न होगा।
- (5) धारा 53 के अधीन अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की एक प्रमाणित प्रतिलिपि और प्रत्येक की तीन सत्य प्रतिलिपियाँ लगाई जायेंगी। ज्ञापन की मूल प्रति और उपर्युक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अधिकरण द्वारा रख ली जायेंगी और उसमें से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि कर निर्धारक प्राधिकारी और राज्य प्रतिनिधि पर, और कमिश्नर द्वारा दायर की गई अपील की स्थिति में प्रतिपक्षी पर, तामील की जायेगी।

36. अपील के ज्ञापन का प्रस्तुत किया जाना (Presentation of Memorandum of Appeal) -

- (1) अपील का ज्ञापन या तो, अपील प्राधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अधिकरण को अपीलकर्ता, उसके वकील या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, या ऐसे प्राधिकारी को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा। साधारण डाक द्वारा प्रेषित अपील का ज्ञापन ग्रहण नहीं किया जायेगा।
- (2) यदि अपील का ज्ञापन वकील या किसी प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो वकालतनामा या, जैसी भी दशा हो, मुखतारनामा भी संलग्न किया जायेगा।
- (3) अपील का ज्ञापन प्राप्त होने पर मुन्सरिम उसे इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में दर्ज करेगा और ज्ञापन पर उसके प्रस्तुत किये जाने की तारीख पृष्ठांकित करेगा, उसका परीक्षण करेगा और रिपोर्ट अभिलिखित करेगा कि वह विहित प्रक्रिया के अनुसार परिसीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया है और ठीक है, और उसे ग्रहण करने के लिये अपील प्राधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अधिकरण के समक्ष रखेगा। यदि अपील का ज्ञापन ठीक है तो उसे अपील प्राधिकारी द्वारा या, जैसी भी दशा हो, अधिकरण द्वारा, जब तक कि धारा 53 के अधीन उसे खारिज करने का विनिश्चय न किया जाए, ग्रहण कर लिया जायेगा।
- (4) यदि अपील का ज्ञापन ठीक न हो या विहित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत न किया जाये तो उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

- (5) यदि अपील का ज्ञापन पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त किया जाये, तो अपील प्राधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अधिकरण द्वारा उसे प्राप्त किये जाने की तारीख को उसके प्रस्तुत करने की तारीख समझा जायेगा।
- (6) इन नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से दिये गये किसी अन्य आवेदन पर लागू होंगे।
- (7) कमिश्नर या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी-
- 1[(अ) वाणिज्यिक कर अधिकारी से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) के समक्ष विभागीय प्रतिनिधि के कृत्यों का पालन करने के लिये; या]
- (आ) असिस्टेंट कमिश्नर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को एडिशनल कमिश्नर (अपील) के समक्ष विभागीय प्रतिनिधि के कृत्यों का पालन करने के लिये; या
- (इ) असिस्टेंट कमिश्नर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को अपील अधिकरण के समक्ष राज्य प्रतिनिधि के कृत्यों का पालन करने के लिये; शक्ति प्रदत्त कर सकता है।
- (8) अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में विभागीय प्रतिनिधि या राज्य प्रतिनिधि कमिश्नर की ओर से-
- (अ) आवेदन और अन्य दस्तावेज तैयार करने व हस्ताक्षर करने;
- (आ) उपस्थित होने, प्रतिनिधित्व करने, कार्य करने और अभिवचन करने;
- (इ) नोटिस और अन्य आदेशिका प्राप्त करने; और
- (ई) ऐसी कार्यवाही से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य करने, के लिये सक्षम होगा।

37. अपील का निस्तारण (Disposal of Appeal) -

- (1) अपील की सुनवाई अपील प्राधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अधिकरण द्वारा नियत की जाने वाली तारीख को की जायेगी।
- (2) अपील प्राधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अधिकरण उपनियम (1) के अधीन नियत तारीख को नोटिस अपील के पक्षकारों पर अपील के ज्ञापन में उल्लिखित पतों पर, या उनके वकील या प्राधिकृत ऐजेन्ट पर समय से तामील करायेगा।
- (3) किसी सप्ताह में सुनवाई के लिये नियत मामलों की नोटिस पिछले सप्ताह के अन्तिम कार्यदिवस को अपील प्राधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जायेगी।

1. विज्ञापित सं0 324/XXVII(8)/2008, दिनांक 14-5-08 के द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व नियम 36 के उपनियम (7) का खण्ड (अ) इस प्रकार था:-

- (अ) वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रेणी-2 से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) के समक्ष विभागीय प्रतिनिधि के कृत्यों का पालन करने के लिये; या

- (4) सुनवाई की तारीख को यदि अपील के सभी सुसंगत अभिलेख प्राप्त हो गये हों, उपस्थित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा और अपील प्राधिकारी या, जैसी भी दशा हो, अधिकरण सुसंगत अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात् अपील पर निर्णय देगा:

परन्तु यह कि यदि समुचित रूप से नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् भी कोई एक पक्षकार उपस्थित न हो, तो अपील की सुनवाई की जा सकती है और एकपक्षीय रूप से विनिश्चय किया जा सकता है।

- (5) किसी प्रार्थी या प्रतिपक्षी को अपने मामले में अपील प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष किसी वकील या एकाउण्टेन्ट या, जैसी भी दशा हो, राज्य प्रतिनिधि द्वारा बहस कराने का अधिकार होगा।
- (6) अधिकरण द्वारा ग्रहण किये गये एक ही मामले से उद्भूत होने वाली प्रति-अपीलों की सुनवाई यथा सम्भव एक साथ की जायेगी।
- (7) अपील का निर्णय लिखित होगा और उसमें निम्नलिखित बातें दी जायेंगी-
- (क) अवधारण के बिन्दु;
- (ख) उन पर विनिश्चय; और
- (ग) ऐसे विनिश्चय के कारण

- (8) धारा 51 के अधीन दाखिल की गई, उस धारा की उपधारा (2) के अधीन दाखिल की गई अपील से भिन्न, कोई अपील, जहाँ तक ऐसा व्यावहारिक हो, का निस्तारण अपील दाखिल किये जाने के एक वर्ष के भीतर किया जायेगा।
- (9) धारा 51 या धारा 53 के अधीन प्रत्येक आदेश की प्रति सम्बद्ध पक्षकार को निःशुल्क दी जायेगी या उन पर तामील की जायेगी। ऐसे आदेश की प्रथम प्रति से भिन्न प्रति सम्बद्ध पक्षकारों को आवेदन देने पर और दो रुपये मूल्य का नकल फोलियो देने पर दी जायेगी।
- (10) नियम 47 और नियम 48 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियम के अधीन नोटिस, समन, आदेश आदि की तामिली करने के सम्बन्ध में लागू होंगे:

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की कर निर्धारक प्राधिकारी के ऊपर तामिली या अपील अधिकरण द्वारा पारित किये गये किसी आदेश की राज्य प्रतिनिधि पर तामिली कमिश्नर पर की गई तामिली समझी जायेगी।

38. अपील का संक्षिप्त निस्तारण (Summary Disposal of Appeal) -

जहाँ अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण द्वारा कोई अपील ग्रहण कर ली गई है और अपीलकर्ता ने धारा 51 की उपधारा (2) या, जैसी भी दशा हो, धारा 53 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिये लिखित रूप से आवेदन किया

हो, तो अपील सुनवाई के लिये, जहाँ तक ऐसा व्यवहारिक होगा, तुरन्त नियत की जायेगी और सामान्य रूप से उसका निस्तारण अपील के ग्रहण दाखिल किये जाने के 45 दिन के भीतर, लेकिन धारा 51 या जैसी भी स्थिति हो धारा 53 के उपबंधों के अधीन अपील दायर किये जाने के लिये विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किया जायेगा।

39. कमिश्नर द्वारा पुनरीक्षण (Revision by the Commissioner) -

कमिश्नर या कोई अन्य अधिकारी जो अधिनियम की धारा 52 के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कर दिया जाय, इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित करने से पूर्व अपने विवेक से अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को कोई पूछताछ, जैसी वह आवश्यक समझे, करने के लिये आदेशित कर सकता है,

40. अपील या पुनरीक्षण के आदेशों का प्रभावशील करना (Giving effect to the Appellate or Revisional order) -

यदि किसी अपील या पुनरीक्षण में दिया गया कोई आदेश किसी आदेश में परिवर्तन करता है, तो कर निर्धारक प्राधिकारी ब्यौहारी को अधिक कर या फीस को वापिस कर देगा या, जैसी भी दशा हो, जो कमी हो उसे वसूल कर लेगा।

क्रम संख्या-57

पंजीकृत संख्या-यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०-३०/२०१२-१४

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, ३१ मार्च, २०१५ ई०

चैत्र १०, १९३७ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या १०२/XXXVI(३)/२०१५/२२(१)/२०१५

देहरादून, ३१ मार्च, २०१५

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, २०१५" पर दिनांक ३१ मार्च, २०१५ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या ११ वर्ष, २०१५ के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये -

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:-

संक्षिप्त नाम
एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 की उपधारा
(5) तथा उपधारा (7)
का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 में:-
(एक) विद्यमान उपधारा (5) के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्द "4 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "5 प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा।

(दो) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (क) तथा उसके परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "2 प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "3 प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा।

(तीन) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(घ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल क्रय किया हो, और ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए मान्यता प्रमाण पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, तो ऐसा ब्यौहारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का, जो कर निर्धारक प्राधिकारी नियत करे, दायी होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर के डेढ़ गुने से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के दुगुने से अधिक न होगी।

(चार) विद्यमान उपधारा (7) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(ङ) यदि किसी ब्यौहारी ने, जिसके पक्ष में खण्ड (ख) के अधीन मान्यता प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या कर का भुगतान किये बिना, जैसी भी स्थिति हो, कोई माल, जिसमें कच्चा माल, प्रसंस्कृत माल, पैकिंग मैटीरियल एवं उपभोग्य (Consumables) शामिल है, खरीदा हो, और

(क) ऐसे माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल (जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है) को; या

(ख) ऐसे विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल (जैसा कि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है) को ऐसे पैकिंग मैटीरियल से पैक करने के पश्चात् ;

राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या

भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा ब्यौहारी, ऐसे माल की बिक्री अथवा खरीद पर, इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गयी अनुसूचियों में ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्राविधानित सामान्य कर की दर से आंकलित कर की राशि एवं इस धारा के अन्तर्गत रियायती कर की दर से आंकलित कर की राशि के अन्तर के डेढ़ गुने के बराबर धनराशि का देनदार होगा।

यह धनराशि ऐसी अवधि हेतु देय होगी, जिस अवधि में ऐसे विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल का ऐसा सम्यवहार किया गया है और इसका भुगतान उस समय सीमा में किया जायेगा जो ऐसी अवधि, हेतु देय कर को जमा करने के लिये निर्धारित है और ऐसे व्यापारी के लिये लागू है।

स्पष्टीकरण: यह अवधारित करने के लिए कि कोई विक्रय या क्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, राज्य के भीतर या भारत से बाहर निर्यात के दौरान हुआ है या नहीं, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 की क्रमशः धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होगी।

धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (8) का संशोधन तथा उपधारा (17) के बाद एक नयी उपधारा (18) का जोड़ा जाना

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में :-

(एक) विद्यमान उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ दिया जायेगा; अर्थात्-

प्रतिबन्ध यह और है कि, किसी भी दशा में, किसी माल के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अथवा रिफ़न्ड की राशि, इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी कानून के अन्तर्गत ऐसे माल के सम्बन्ध में कर की राशि जो सरकारी कोषागार में वास्तव में जमा कर दी गयी है, से अधिक नहीं होगी।

(दो) विद्यमान उपधारा (3) के खण्ड (ड) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्-

प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर खण्ड (घ) के प्रतिनिर्देश से यदि ऐसे विनिर्मित माल को विक्रय से अन्यथा प्रान्त के बाहर प्रेषण किया जाय तो ऐसे माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग की गई कच्ची सामग्री के क्रय पर 3 प्रतिशत के अधिक भुगतान किये गये कर के सम्बन्ध में आंशिक इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य होगा;

(तीन) विद्यमान उपधारा (8) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्-

प्रतिबन्ध यह है कि मद (छ) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहारों के सम्बन्ध में माल के विनिर्माण में सीधे उपयोग किये गये कच्चे माल पर 3 प्रतिशत से अधिक भुगतान किये गये कर के संबंध में इनपुट टैक्स की आंशिक रकम अनुज्ञात की जायेगी।

(चार) वर्तमान उपधारा (17) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (18) रख दी जायेगी; अर्थात्-

(18) इस धारा में किसी विरोधी बात के होते हुये भी, यदि क्रय किये गये अथवा पुनः बिक्री किये गये माल अथवा ऐसे माल का प्रयोग या उपयोग करके विनिर्मित अथवा प्रसंस्कृत माल को, ऐसे मूल्य पर बेचा जाता है जो:-

(क) पुनर्बिक्री की दशा में, ऐसे माल के क्रय मूल्य से ; अथवा

(ख) विनिर्माण की दशा में लागत मूल्य से ;

कम है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का दावा, ऐसे माल के अथवा विनिर्मित माल के विक्रय मूल्य पर देय कर की सीमा तक किया जायेगा और उसे उसी सीमा तक अनुमन्य किया जायेगा।

धारा 35 की उपधारा 4.
(2), उपधारा (8) तथा
उपधारा (10) का
संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 35 में :-

(एक) विद्यमान उपधारा (2) के खण्ड (घ) में प्रयुक्त शब्द "चार प्रतिशत की दर से" के स्थान पर शब्द "पाँच प्रतिशत की दर से" रख दिया जायेगा।

(दो) विद्यमान उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

(8) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई ऐसा व्यक्ति;

(क) इस धारा के अन्तर्गत कटौती करने योग्य राशि की कटौती करने में असफल रहता है -तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि वह अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो इस धारा के अधीन काटने योग्य ऐसी धनराशि के एक सौ पन्द्रह प्रतिशत से कम एवं एक सौ पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; या

(ख) इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार एवं निर्धारित समयावधि में जमा करने में असफल रहता है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति;

(i) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक नहीं है, ऐसी धनराशि जो ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर होगी, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा; और

(ii) यदि ऐसी राशि जमा करने में विलम्ब एक माह से अधिक है, ऐसी धनराशि, जो ऐसी राशि के पन्द्रह प्रतिशत से कम तथा पच्चीस प्रतिशत से अधिक न होगी, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

(तीन) वर्तमान उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्—

(10) उपधारा (8) के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कटौती करने के पश्चात धनराशि जमा न की गयी हो तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, आदेश पारित करके निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी राशि को उपधारा (9) में निर्दिष्ट ब्याज सहित जमा करे और ऐसी राशि, ऐसे ब्याज सहित सम्बद्ध व्यक्ति की समस्त आस्तियों पर भार होगी।

धारा 50 की उपधारा 5.
(3) का संशोधन

"मूल अधिनियम" की धारा 50 वर्तमान उपधारा (3) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा; अर्थात्—
परन्तु यह कि ऐसा कर निर्धारण, इस प्राविधान के आरम्भ होने से पूर्व या उसके बाद उदभूत हुए मामलों में किया जा सकेगा।

धारा 53 की उपधारा 8.
(10) का संशोधन

"मूल अधिनियम" की धारा 53 की वर्तमान उपधारा (10) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात्—

(ख) अधिनियम के निम्न प्राविधानों के अन्तर्गत दिए गये आदेश अथवा निर्देश के विरुद्ध अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण दो सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा।

(i) धारा 52 के अन्तर्गत पारित कोई आदेश;

(ii) धारा 43 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश ;

- (iii) धारा 43-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश;
- (iv) धारा 48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश;
- (v) धारा 48-क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित कोई निर्देश।

धारा 58 की उपधारा (1) का संशोधन

7. "मूल अधिनियम" की धारा 58 की वर्तमान उपधारा (1) के चार्ट के स्तम्भ-2(अर्थदण्ड) के खण्ड (VII) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(VII) (क)(i) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पाँच प्रतिशत के बराबर हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो;

(ii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम न हो और बीस प्रतिशत से अधिक न हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है ;

(iii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है।

(ख)(i) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के पाँच प्रतिशत के बराबर हो, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक न हो;

(ii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के दस प्रतिशत से कम और बीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार तक है ;

(iii) ऐसी राशि, जो ऐसे कर के बीस प्रतिशत से कम और तीस प्रतिशत से अधिक न होगी, यदि ऐसे कर के जमा में विलम्ब एक माह से अधिक का है और ऐसे कर की राशि बीस हजार से अधिक है।

(ग) ऐसी धनराशि, जो वसूले गये या अधिक वसूले गये कर की धनराशि से कम न हो, किन्तु उक्त धनराशि के दो गुना से अधिक न हो;

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

न.प.सं. 31 मार्च, 2016 ई० (चैत्र 11, 1938 शक संवत्)
(दो) वर्तमान उपधारा (8) के वर्तमान तीसरे प्रतिबन्ध के पश्चात्
निम्नलिखित नया प्रतिबन्ध रख दिया जायेगा; अर्थात्-

प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (ग) में दिये गये निर्देशों के उपरान्त
पारित नये आदेश के विरुद्ध अपील करने पर पुनः खण्ड (ग) में नया
आदेश पारित करने हेतु निर्देश नहीं दिया जायेगा।

धारा 53 में
संशोधन

10. "मूल अधिनियम" की धारा 53 की वर्तमान उपधारा (3) का दूसरा प्रतिबन्ध
हटा दिया जायेगा।

धारा 58 में
संशोधन

11. "मूल अधिनियम" की धारा 58 की वर्तमान उपधारा (1) के खण्ड (xv) के
के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्-

(1) (xv) प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि;

धारा 61 में
संशोधन

12. "मूल अधिनियम" की धारा 61 की वर्तमान उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्दावली
"6 वर्ष" के स्थान पर शब्दावली "8 वर्ष" रख दी जायेगी।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 103/XXXVI(3)/2016/15(1)/2016
Dated Dehradun, March 31, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the
following English translation of 'the Uttarakhand Value Added Tax
(Amendment) Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 02 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to
by the Governor on 29 March, 2016.

THE UTTARAKHAND VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2016

(Act No. 02 of 2016)

An

Act

further to amend The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty seventh year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Value Added Tax, (Amendment) Act, 2016.

(2) This shall come into force at once

Amendment of Section 17

2. In Section 17 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the "Principal Act") after Clause (h) of sub-section (11), the following clause shall be added; namely -

(11)(hh) If the transaction in connection of business is initiated through any other bank account or accounts other than the bank account or accounts declared in the registration application or effects the closing of the bank account; or

Amendment in Section 25

3. In Section 25 of the "Principal Act", the heading of sub-section (9) and for the existing clause (a), clause (e), clause (f) and clause (g) of sub-section (9), the following shall be substituted; namely -

(9) Tax Audit And Tax Audit Assessment :

(a) Notwithstanding anything contained in this Act tax audit of records, Stock and related documents of a dealer, selected for this purpose may be conducted for the purpose of ensuring the compliance by the dealer for the requirements of the Act or for examining the correctness of periodical and final returns and admissibility of various claims including input tax credits;

Provided that no dealer may be selected for tax audit for an assessment year after the expiration of five year from the end of such assessment year.

(e) The officer conducting the tax audit shall have powers under section 42 of the Act and may also make or cause to be made extracts or copies from the books of accounts and other documents, inventory of stock, seek such information or statement, which may be useful and relevant to any proceeding under this Act. The dealer shall provide full co-operation and assistance to the audit party during the course of audit;

If the dealer prevents or obstructs the officer from making extracts or copies from the books of accounts and other documents, inventory of stock or from seeking such information or statements required for the purpose of tax audit or does not cooperate and assist the audit party during the course of audit, the officer in charge of the tax audit may impose a penalty upto Rs. 10,000/ for each non compliance. No such penalty shall be imposed unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer. The provisions relating to recovery of dues shall mutatis mutandis apply for recovery of imposed penalty;

(f) The tax audit authority shall after considering all the evidence collected by him or produced in course of the proceeding may :-

(1) Confirm the self assessment or assessment order which has already been passed; or

(2) Set aside the self assessment or assessment or reassessment order and reassess the turnover and tax of the dealer; or

(3) Assess the amount of tax due from the dealer if no assessment has been made so far;

Provided that no such assessment or reassessment shall be made unless a reasonable opportunity of being heard has been given to the dealer;

Provided further that not more than three adjournments shall be granted to a dealer for hearing of the case under this Section;

Provided further that period of limitation for making Assessment or Reassessment under this section shall be applicable as per section 32 of this Act.

(g) The tax audit officers shall have all the powers of an Assessing Authority.

**Amendment in
Section 29**

4. In Section 29 of the "Principal Act", the heading of existing Section 29, and for the sub-section(1) the following heading and sub-section (1), and after clause (d) of this sub-section, the new following clause (dd) shall be added and for the sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely -

29. Assessment of the Turnover not Assessed or Assessed at lesser rate during the year :

(1) Where for any year or part thereof, the Assessing Authority has reason to believe that the whole or any part of turnover or tax of the dealer in respect of any tax period has --

(dd) During Assessment rebate or concession has been allowed on the basis of submitted declaration form or certificate but such submitted declaration form or certificate is found to be false or wrong, afterwards; or

(4) If the Commissioner on his own or on the basis of reasons recorded by the Assessing Authority is satisfied that it is just and expedient so to do, he may authorise the Assessing Authority in that behalf, and then such assessment or reassessment not made after the expiration of six years after the end of such assessment year or after the expiration of four year from the date of the order sought to be reassessed, whichever is later notwithstanding that such assessment or reassessment may involve a change of opinion.

*By Notification
No. 103
Dtr. 21/3/2016*

**Deletion of
Section 31**

5. Section 31 of the "Principal Act" Shall be deleted.

**Deletion of
Section 32(6)**

6. Section 32(6) of the "Principal Act" Shall be deleted.

**Amendment in
Section 34**

7. In Section 34 of the "Principal Act", after the existing sub-section (17), the following new sub-section (17A) Shall be added; namely-

(17A) If any amount is to be paid by a person to the Assessing Authority, under sub-section (14) of Section 34 of this Act, but the person fails to pay the amount, such person shall be liable to pay such amount not exceeding the amount due, as penalty, as directed by the Assessing Authority in writing, after giving him the opportunity of being heard.

Addition of
Section 34A

8. After the existing Section 34 of the "Principal Act", the following new Section 34-A Shall be added; namely -

34A. Tax to be first Charge :

Notwithstanding anything to the contrary, contained in any law or contract, any amount of tax, penalty or other amount, if any, payable by a dealer or other person under this Act shall be first charge on the property of the dealer or such person.

Amendment in
Section 51

9. In Section 51 of the "Principal Act"-

(1) After the existing sub-section (4), the following new sub-section (4A) Shall be added; namely -

(4A) Notwithstanding anything contained in this Section,

(i) no appeal against an ex-parte order shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of sum equal to five percent of the amount of disputed tax or penalty or Rupees One Lakh which ever is less;

(ii) no appeal against any other order, besides ex-parte assessment order or penalty shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of sum equal to twenty percent of the amount of disputed tax, penalty or any other amount or Rupees Five Lakh which ever is less;

(iii) no appeal, against any declaration form or certificate of turnover of concession or rebate, which is being rejected by the Assessing Authority or which are not being produced before the Assessing Authority, shall be entertained unless the appellant has furnished satisfactory proof of the payment of a sum equal to ten percent of the amount at general rate of

tax payable under this Act, on the amount of the turnover of such declaration form or certificate, rejected or not produced.
Explanation: The above mentioned amount shall be in addition to the condition of the stay given under Sub-Section (6).

(2) After the existing third proviso of sub-section (3), the following new proviso shall be added; namely -

Provided further that on an appeal, against an order passed after the direction under Clause (c), no further direction to pass a fresh order be made under Clause (c).

- Amendment in Section 53** 10. In Section 53 of the "Principal Act", the existing second proviso of sub-section (8) shall be deleted.
- Amendment in Section 58** 11. In Section 58 of the "Principal Act", for the existing clause (xv) of sub-section (1), the following sub-section shall be substituted; namely -
(1)(xv) A sum not exceeding rupees ten thousand for each default.
- Amendment in Section 61** 12. In Section 61 of the "Principal Act", the word "six years" occurring therein sub-section (1), the words "eight years" shall be substituted.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.